न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.34/2016
पंजीयन दिनांक 26.05.2016

(1). दिलीप कुमार पिता हीरा लाल जाति दर्जी निवासी मुझवा हाल निवासी स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की गली धरियावद, तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज0)। मृतक के बजाय-

1/1. हेमलता पत्नि दिलीप कुमार जाति दर्जी निवासी मुझवा हाल निवासी स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की गली धरियावद, तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

1/2. मंगेश पुत्र दिलीप कुमार जाति दर्जी निवासी मुझवा हाल निवासी स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की गली धरियावद, तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

1/3. नितेश पुत्र दिलीप कुमार जाति दर्जी निवासी मुझवा हाल निवासी स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की गली धरियावद, तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

1/4. रेखा पुत्री दिलीप कुमार जाति दर्जी निवासी मुझवा हाल निवासी स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की गली धरियावद, तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

(2). दिनेश कुमार पिता हीरा लाल जाति दर्जी निवासी मुझवा हाल निवासी स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की गली धरियावद, तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

(3). पुष्पा देवी पत्नी हीरा लाल जाति दर्जी निवासी मुझवा हाल निवासी स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की गली धरियावद, तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). गणेशराम पिता मोहनलाल जाति दर्जी निवासी मुझवा तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(2). प्रेमचंद पिता मोहनलाल जाति दर्जी निवासी मुझवा तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(3). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी ,तहसील बड़ीसादड़ी जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चित्तौड़गढ़(राज0)।

(4). उप पंजीयक बड़ीसादड़ी, तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी प्रकरण संख्या 05/2016 निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.03.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1).बसन्तीलाल पोखरना-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2).सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3).पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3
(4). रेस्पोडेन्ट संख्या 4- अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 07.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की कब्जेशुदा आराजी संख्या 9, 115, 232, 275, 279, 282, 284, कुल किता 7 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर मौजा मुजवा तहसील बड़ीसादडी मे स्थित होकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 विगत 50 वर्षो से शान्तीपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलांटगण विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने नाम खुलवाकर उक्त आराजीयात को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अन्त में रेस्पोडेन्टगण विपक्षी संख्या 1 से 3 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के किसी भी हिस्से पर न कब्जा करे और न ही दीगर को हस्तांतरित करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात में रेकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2016 को निर्णित किया जाकर उभय पक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के मौके व रकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने यह अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...ल दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे यह तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के अभिलिखित खातेदार होने से रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । साथ ही न्याय,साम्य, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में होने के बावजूद भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाकर मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29.03.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का अपीलांटगण विपक्षी संख्या 1 से 3 खातेदार होने के बावजूद भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जबकि अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानून सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत कर अपीलांटगण विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध कानूनी रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा की दाद पाने के अधिकारी नहीं थे, क्योकि किसी भी अचल संपत्ति के अपंजीकृत विकय अनुबंध मात्र से अचल संपत्ति के अधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता और न ही कोई दाद अपंजीकृत विकय अनुबंध के आधार पर प्राप्त की जा सकती है । उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु अधिवक्ता अपीलांटगण विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पेज 1058 प्रस्तुत किया गया। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि बिन्दुओ को नजरअन्दाज करते हुए अपीलांटगण विपक्षी संख्या 1 से 3 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होना मानते हुए उभय पक्षकारन को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्गण विपक्षी संख्या 1 से 3 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है जो कि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपंजीकृत विक्रय इकरार जो स्टाम्प पर नहीं है के आधार पर अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण ने अपंजीकृत विक्रय इकरार के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। अपंजीकृत विक्रय इकरार संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत पूर्ण विक्रय नहीं होकर विक्रय इकरार है जिसकी पालना नहीं होने पर सक्षम सिविल न्यायालय से ही पालना करायी जा सकती है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्रों पर पहचान कर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध विशेष परिस्थितियों में ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्गण सख्या 1 व 2 प्रार्थीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके आधार पर अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक हो । अधिवक्ता अपीलांट्गण विपक्षी सख्या 1 से 3 की ओर से न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पेज 1058 प्रस्तुत किया जो इस प्रकरण पर चस्पा होकर अपीलांट्गण विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण विपक्षी संख्या 1 से 3 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी प्रकरण संख्या 5/2016 निर्णय व आदेश दिनांक 29.03.2016 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)